भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-680

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

680. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री भोला सिंहः
श्री निशीथ प्रामाणिकः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित और हासिल किए गए हैं;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग किए गए धन का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं के घरों में मीटरिंग; तथा फीडर पृथक्करण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन के उद्देश्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई

थी। उसी प्रकार, देश के ग्रामीण और शहरी गरीब घरों के विद्युतीकरण हेतु अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की गई थी।

(ख) और (ग) : देश के ग्रामीण और शहरी गरीब घरों के विद्युतीकरण हेतु अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की गई थी। इस स्कीम को देश में सभी घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। तदोपरांत, 7 राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया था कि 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में जो पहले अनिच्छुक थे किंतु अब उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। राज्यों से सौभाग्य के अंतर्गत इन घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया था। इनमें से, 31.12.2020 तक 18.57 लाख घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के शेष घरों का 31 मार्च, 2021 तक विद्युतीकरण किए जाने के लिए समय विस्तार दिया गया है।

वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-I** एवं **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से कुल 2.81 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(घ) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का स्कीम-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-III** एवं **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ) : सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की लक्षित तारीख उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर के अनुसार है। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई समापन वर्ष में है और 31 मार्च, 2022 तक पूरी होने के लिए शेड्यूल है।

(च) : मंत्रालय में उच्च स्तर पर स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है। नियमित अंतराल पर राज्यों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य विशिष्ट मुद्दे प्रभावी रूप से हल किए जाते हैं, स्कीम के अंतर्गत गठित संबंधित निगरानी समिति द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति की भी निगरानी की जाती है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य - वास्तविक प्रगति राज्य-वार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विद्युतीकरण घरों की (संख्या)			
		11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	01.04.2019 से 31.12.2020 तक प्रगति	11.10.2017 से 31.12.2020 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	31.12.2020 तक शेष गैर-विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930	
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089		47,089	
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	
4	बिहार	32,59,041		32,59,041	
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	38,005	7,87,402	2,389
6	गुजरात	41,317		41,317	
7	हरियाणा	54,681		54,681	
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891	
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,87,501		3,87,501	
10	झारखंड	15,30,708	1,74,571	17,05,279	25,429
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798	
12	केरल	3.19 लाख घरों का पुन:-विद्युतीकरण (जो बाढ़ में गैर-विद्युतीकृत हो गए थे)			
13	लद्दाख				
14	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264	
15	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922	
16	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	
17	मेघालय	1,99,839		1,99,839	
18	मिजोरम	27,970		27,970	
19	नागालैंड	1,32,507		1,32,507	
20	ओडिशा	24,52,444		24,52,444	
21	पुद्दुचेरी	912		912	
22	पंजाब	3,477		3,477	
23	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	
24	सिक्किम	14,900		14,900	
25	तमिलनाडु	2,170		2,170	
26	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084	
27	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090	
28	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	
29	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751	
30	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290	
	कुल	**2,62,84,350**	**18,57,556**	**2,81,41,906**	**27,818**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2020 तक) के दौरान सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत लागत (ग्रामीण +शहरी)	31.12.2020 तक जारी किया गया अनुदान					राज्यों द्वारा खर्च
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total	
1	अरूणाचल प्रदेश	323		138.86	13.79		152.65	142.07
2	असम	973	41.99	402.71	120.92	37.01	602.63	602.63
3	बिहार	926	115.40	198.78	136.25	17.10	467.54	467.54
4	छत्तीसगढ़	648	42.81	219.00	32.01	42.06	335.87	335.72
5	हरियाणा	18			2.98		2.98	2.98
6	हिमाचल प्रदेश	6		0.82	2.89		3.72	3.72
7	जम्मू एवं कश्मीर	133.43	1.81	51.43			53.24	36.86
8	झारखंड	887.11	69.71	82.72	4.31		156.74	149.90
9	कर्नाटक	78.67			39.38		39.38	39.38
10	केरल	90.00	15.20		26.12	13.27	54.59	54.59
11	मध्य प्रदेश	872.65	260.37	147.09		6.32	413.79	413.79
12	महाराष्ट्र	405.89	15.17	139.56	43.37		198.10	198.10
13	मणिपुर	120.80	5.85	34.86	33.04	12.13	85.88	85.88
14	मेघालय	275.73		97.84	87.79	1.26	186.89	185.69
15	मिजोरम	45.63		34.62		6.03	40.65	37.68
16	नागालैंड	64.06	4.93	34.29			39.23	39.23
17	ओडिशा	524.76	76.36	168.41			244.77	224.90
18	पंजाब	1.77				0.36	0.36	0.36
19	राजस्थान	571.91		102.94	76.40	71.47	250.81	250.81
20	सिक्किम	2.24			0.53	1.15	1.67	1.67
21	तेलंगाना	35.05			15.38		15.38	15.38
22	त्रिपुरा	417.54		236.67	8.11	0.27	245.05	240.24
23	उत्तर प्रदेश	6188.24	864.01	522.61	25.76		1412.37	1412.37
24	उत्तराखंड	149.35	13.30	22.42	6.83		42.55	40.09
25	पश्चिम बंगाल	259.06	13.71	73.20	20.28	15.92	123.10	119.00
	कुल	**14017.41**	**1540.63**	**2708.83**	**696.13**	**224.34**	**5169.93**	**5100.57**

टिप्पणी - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त आंकड़े

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2020 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के तहत संस्वीकृत परियोजना लागत का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31.12.2020 तक)	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	-	292.13	-	142.42	434.55
2	असम	-	1,493.57	-	-	1,493.57
3	बिहार	-	644.36	-	800.39	1,444.75
4	छतीसगढ़	-	83.64	-	-	83.64
5	हरियणा	-	30.31	-	-	30.31
6	हिमाचल प्रदेश	-	8.68	-	-	8.68
7	जम्मू व कश्मीर	-	875.03	-	-	875.03
8	झारखंड	-	1,077.70	-	-	1,077.70
9	कर्नाटक	-	126.74	-	-	126.74
10	मध्य प्रदेश	-	998.64	-	-	998.64
11	महाराष्ट्र	-	368.92	-	-	368.92
12	मणिपुर	-	60.27	70.05	-	130.32
13	मेघालय	-	381.33	-	-	381.33
14	मिजोरम	-	31.65	21.93	-	53.58
15	नागालैंड	-	28.31	51.99	-	80.30
16	ओडिशा	-	508.63	-	-	508.63
17	पंजाब	191.00	-	-	-	191.00
18	राजस्थान	-	1,127.74	-	-	1,127.74
19	सिक्किम	-	37.36	-	-	37.36
20	त्रिपुरा	-	358.64	-	-	358.64
21	उत्तर प्रदेश	-	6,289.57	-	-	6,289.57
कुल		**191.00**	**14,823.22**	**143.97**	**942.81**	**16,101.00**

टिप्पणी - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त आंकड़े

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 04.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.12.2020 तक) डीडीयूजीजेवाई जारी की गई और उपयोग की गई राशि राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.12.2020 तक जारी की गई निधि					निधियों का उपयोग
		2017-18	*2018-19*	*2019-20*	*2020-21*	*अनुदान*	
1	आंध्र प्रदेश	165	177	8	8	359	359
2	अरूणाचल प्रदेश	81	160	37	32	309	277
3	असम	408	1082	661	66	2217	2105
4	बिहार	763	2412	682	659	4516	4516
5	छत्तीसगढ़	552	79	58	13	702	695
6	गुजरात	143	181			324	324
7	हरियाणा	45	22	50	4	121	121
8	हिमाचल प्रदेश		15	40		54	54
9	जम्मू एवं कश्मीर	57	527	65	34	683	642
10	झारखंड	862	1362	610	104	2938	2910
11	कर्नाटक	204	451	283	2	940	939
12	केरल	87	57	8		152	152
13	लद्दाख	8	15	24		47	47
14	मध्य प्रदेश	598	952	375	170	2094	2048
15	महाराष्ट्र	143	482	225	99	949	937
16	मणिपुर	33	41	46	15	135	118
17	मेघालय	58	155	165	26	403	389
18	मिजोरम	42	35	16	5	97	88
19	नागालैंड	24	55	24	4	107	84
20	उड़ीसा	366	1360	330	55	2112	1940
21	पंजाब	15	42	115		172	169
22	राजस्थान	782	1246	273	27	2328	2277
23	सिक्किम	18	21	9	28	76	76
24	तमिलनाडु	2	244	56		302	302
25	तेलंगाना	60	61	74		195	195
26	त्रिपुरा	62	112	47	48	269	261
27	उत्तर प्रदेश	3149	3560	946	536	8191	8038
28	उत्तराखंड	33	270	269		572	493
29	पश्चिम बंगाल	241	1281	261	114	1898	1843
30	गोवा		3	7		10	10
31	दादरा एवं नगर हवेली		1			1	1
32	पुद्दुचेरी		0	5		5	5
33	अंडमान और निकोबार	1			2	3	1
	कुल योग	**9002**	**16460**	**5767**	**2053**	**33282**	**32414**

****